संख्या : 123/XIII-II/2011–08(05)/2006

प्रेषक,

एम.एच. खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्धन निदेशालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 20 जून, 2011

विषयः **"उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना" के Final Impact Evaluation का कार्य मै. TERI, नई दिल्ली से कराए जाने हेतु कन्सल्टैंसी शुल्क के भुगतान हेतु धनराशि के व्यय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 130/XIII(2)/2010-08(05)/2006 दिनांक 15.3.2011 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना" के Final Impact Evaluation का कार्य मै. TERI, नई दिल्ली से कराए जाने एवं इस हेतु ₹ 1,03,06,984/– (₹ 93,44,500/– कन्सल्टेंसी शुल्क + ₹ 9,62,484/– सेवा कर) के भुगतान किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 2837/10–15 दिनांक 12.5.2011 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त योजना के Final Impact Evaluation का कार्य उक्त संस्था से कराए जाने हेतु देय धनराशि **₹ 1,03,06,984/– (₹ 93,44,500/– कन्सल्टेंसी शुल्क + ₹ 9,62,484/– सेवा कर) (₹ एक करोड तीन लाख छः हजार नौ सौ चौरासी)** को वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय /भुगतान किए जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त धनराशि का व्यय जलागम निदेशालय द्वारा, उक्त कार्य हेतु TERI, नई दिल्ली के Bid/price से शत प्रतिशत संतुष्ट होने पर ही किया जाएगा।
2. उक्त संस्था द्वारा Final Impact Evaluation के अन्तर्गत किए गये कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रहीं है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2012 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

क्रमशः....

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के "अनुदान संख्या–17" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनाएं–97–वाह्य सहायतित योजना–02–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना" के अन्तर्गत मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत पूर्व में निवर्तन पर रखी जा चुकी धनराशि के सापेक्ष किया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 56(P)/XXVII(4)/2011 दिनांक 13जून, 2011 के द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम. एच. खान)
सचिव।

संख्या : 123 (1)/XIII-II/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संबंधित संस्था।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार गुप्ता)
अनुसचिव।